

विद्यालयीन समिति

1. संबंधित विद्यालय के राजस्व अनुभाग
के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) - अध्यक्ष
2. अनुभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग -सदस्य
3. अनुभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
विभाग - सदस्य
2. विकासखंड चिकित्सा अधिकारी - सदस्य
3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं
बाल विकास - सदस्य
4. संबंधित संस्था के प्राचार्य - सदस्य-सचिव
5. विद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता - सदस्य
6. कक्षा 10 वीं के मेरिट में सर्वाधिक
प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के पालक - सदस्य
(एक बालक एवं एक बालिका के)